न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टी0ए0/7150/2002/भरतपुर

1– शिव सिंह पुत्र छोटी मृतक जरिये वारिसान

1/1 उदल सिंह पुत्र शिव सिंह

1/2 पोहप सिंह पुत्र शिव सिंह

1/3 माया देवी पत्नी स्व0 शिव सिंह

समस्त जाति जाट निवासी गुन्सारा तहसील कुम्हैर जिला भरतपुर।

1/4 निरज पुत्री शिव सिंह

1/5 पुष्पा देवी पुत्री शिव सिंह पत्नी हरिप्रसाद

1/6 ममता देवी पुत्री शिव सिंह पत्नी सुरेश चौधरी

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम कुकुआ वाद जिला आगरा (उत्तरप्रदेश)।

2– शिवराम पुत्र छोटी जाति जाट निवासी ग्राम गुन्सारा तहसील कुम्हैर जिला भरतपुर।

अपीलांटस.....

बनाम

1– दुर्गाप्रसाद पुत्र लालाराम मृतक जरिये वारिसान

1/1– रमेशचन्द पुत्र दुर्गाप्रसाद मृतक जरिये वारिसान :–

1/1/1– सुखदेव शर्मा पुत्र रमेशचन्द

1/1/2– निरोत्तम शर्मा पुत्र रमेशचन्द

1/1/3– धर्मेन्द्र शर्मा पुत्र रमेशचन्द

1/2– प्रकाशचंद पुत्र दुर्गाप्रसाद

1/3– हरिप्रसाद पुत्र दुर्गाप्रसाद मृतक जरिये वारिसान :–

1/3/1– गिरधारी पुत्र हरिप्रसाद

1/4– केशवदेव पुत्र दुर्गाप्रसाद

1/5– राधारमण पुत्र दुर्गाप्रसाद

1/6– खेमचंद पुत्र दुर्गाप्रसाद

1/7– हरिशंकर पुत्र दुर्गाप्रसाद

1/7/1– गिरीश कुमार पुत्र हरिशंकर

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम गुन्सारा तहसील कुम्हैर जिला भरतपुर।

2– मैनेजर, युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गुन्सारा तहसील कुम्हैर जिला भरतपुर।

रेस्पोडेन्टस.....

खण्डपीठ
श्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष
श्री रामनिवास जाट, सदस्य

उपस्थितिः–
श्री जे0के0 पारिक, अभिभाषक अपीलांटस
श्री रोहित सोनी, अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय

दिनांकः– 30–11–2023

1– यह अपील अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर दिनांक 05–12–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का अपील मीमों में अंकित विवादित आराजी कुल किता 4 रकबा 1.42 है0 के संबंध में परीक्षण न्यायालय सहायक कलेक्टर, भरतपुर के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी/रेस्पो0 ने वादी को नाबालिग समझकर वादी/अपीलांट की भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज के आधार पर अपने नाम दर्ज करवा कर उसे बेदखल करने पर आमादा है। अतः वादी/अपीलांट को विवादित आराजी को खातेदार घोषित करते हुये प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। परीक्षण न्यायालय ने दावा एवं जवाबदावा के आधार पर सात तनकीयात कायम करते हुये अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03–04–2001 से वादी को खातेदार घोषित कर दिया एवं प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया। परीक्षण न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादी/रेस्पो0 ने एक अपील अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05–12–2002 से अपीलांट की अपील को स्वीकार करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय अपास्त कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील प्रकरण में सुनी गयी।

4– विद्वान अभिभाषक विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि अपीलांट/वादीगण विवादित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार होकर निरंतर कब्जे काश्त में चले आ रहे है। वादी/अपीलांट के पिता का देहांत काफी समय पूर्व हो चुका था। उनके देहांत के पश्चात से ही उक्त विवादित आराजी अपीलांट काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादी/रेस्पो0 ने वादीगण/अपीलांट के नाबालिग होने का फायदा उठाकर विवादित आराजी को अपने खातेदारी में दर्ज करवा लिया। प्रतिवादी/रेस्पो0 विवादित आराजी में किसी भी प्रकार से कोई हक व अधिकार नहीं रखता। परीक्षण न्यायालय ने पूर्ण परीक्षण करने के उपरांत तनकीयात कायम करते हुये अपना निर्णय पारित किया था परंतु अपीलीय न्यायालय ने अपने विधि विरूद्ध आदेश से उसे अपास्त कर दिया जो निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि वादी/अपीलांट के पिता व रेस्पो0 के बीच 1963 में एक दावा चला था जो निर्णय दिनांक 09–07–1963 को राजीनामा के आधार पर डिक्री हुआ। परंतु प्रतिवादी/रेस्पो0 ने ना तो अधीनस्थ न्यायालय में राजीनामा पेश किया और ना ही उपखण्ड अधिकारी के निर्णय की नकल दी। राजीनाम के आधार पर स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 614 से वादी को खातेदारी दी गई। परंतु प्रतिवादी ने कभी–भी उसे शिकमी काश्तकार नहीं बताया। तहसीलदार को नामांतरकरण स्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं था। वादी के पिता एंव दादा विवादित आराजी के खुदकाश्त होल्डर थे। इस आधार पर उन्होने खातेदारी अधिकार प्राप्त किये। उक्त समस्त तथ्यों का पूर्ण परीक्षण करने के उपरांत परीक्षण न्यायालय ने अपना निर्णय पारित किया था परंतु अपीलीय न्यायालय ने अपने विधि विरूद्ध आदेश से उसे अपास्त कर दिया जो निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलीय न्यायालय ने आदेश 41 नियम 31 सी0पी0सी0 के प्रावधानों की पालना किये बिना निर्णय पारित किया है। अपीलीय न्यायालय को उक्त प्रावधान के तहत सभी तनकीयों का निर्णय पृथक–पृथक रूप से पारित किया जाना चाहिये परंतु उनके द्वारा आदेश 41 नियम 31 सी0पी0सी0 के प्रावधानों की पालना किये बिना निर्णय पारित किया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलीय न्यायालय ने उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर द्वारा पूर्व पारित निर्णय दिनांक 09–07–1963 को आधार मानकर विवादित निर्णय पारित किया है जबकि यह निर्णय कोई भी कानूनी

आधार नहीं रखता। इस निर्णय के आधार पर अपीलीय न्यायालय ने रेस्पो0/प्रतिवादीगण का कब्जा विगत 42 वर्षों से माना है जो पूर्णतः कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक 2015आर0बी0जे0 पेज 368, 2019(2) आर0आर0टी0 पेज 1084, 2017(1) डी0एन0जे0(राज0) पेज 285, 1999 आर0आर0डी0 पेज 256, 2006 आर0आर0डी0 पेज 23, 2003 आर0आर0डी0 पेज 306, 2002(1) आर0आर0टी0 पेज 425, 1995 आर0आर0डी0 पेज 97, 2011(2) आर0आर0टी0(एच0सी0) पेज 1035, 2011(2) (एस0सी0) आर0आर0टी0 पेज 1020, 2021 आर0बी0जे0(एस0सी0) पेज 231के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुये हस्तगत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5- विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने जरिये लिखित बहस कथन किया कि विवादित आराजी पर प्रतिवादी/रेस्पो0 संवत 2018 से पहले से गैर खातेदार और उसके बाद संवत 2026 से खातेदार चले आ रहे है। वर्ष 1963 में अपीलांट के पिता छोटी एवं दुर्गाप्रसाद के बीच वाद चला जिसमें राजीनामा के आधार पर दिनांक 09-07-1963 को रेस्पो0 के पक्ष में निर्णय किया गया जिसका उल्लेख खसरा गिरदावरी संवत 2020 के विशेष कॉलम में अंकित है। प्रतिवादी/रेस्पो0 लगभग 42 साल से विवादित आराजी पर खातेदार काश्तकार चले आ रहे है। जिसे वादी/अपीलांट ने भी अपने बयानों में स्वीकार किया है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि पूर्व में निर्णित दावा जो राजीनामा के आधार पर निर्णय हुआ था उसे वादीगण के पिता ने अपने जीवनकाल में किसी भी सक्षम न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी। इस आधार पर वादी/अपीलांट एस्टोपल के सिद्धांत से विबंधित है। परीक्षण न्यायालय ने उक्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुये निर्णय पारित किया जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपास्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि जब तक कोई व्यक्ति आराजी पर काबिज नहीं हो तो उस व्यक्ति को उस आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकरण में भी प्रतिवादी/रेस्पो0 ही विवादित आराजी पर निरंतर कब्जे काश्त में चला आ रहा हैं। इसलिये परीक्षण न्यायालय ने वादी/अपीलांट को विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर खातेदार घोषित किया है। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने आदेश से खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने

2013(2) आर0आर0टी0 पेज 1096, 2014(1) आर0आर0टी0 पेज 376, 2003(1) आर0आर0टी0 पेज 370, 1999 आर0बी0जे0(6) पेज 128, 2019 आर0बी0जे0 पेज पेज 714, 1974 ए0आई0आर0(एस0सी0) पेज 471, 2022(1) आर0आर0टी0 पेज 52 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुये हस्तगत अपील को खारिज करते हुये अपीलीय न्यायालय का निर्णय बहाल रखने का निवेदन किया।

6– हमने उभयपक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत रिकार्ड एवं विधिक दृष्टांतों का अवलोकन किया।

7– अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर ने अपने निर्णय के अंतिम पैरा में अंकित किया है कि :–

''विवादित आराजी पर प्रतिवादी/अपीलांट संवत 2018 से रिकॉर्ड में पहले गैर खातेदार और उसके बाद 20226 से खातेदार दर्ज चला आ रहा है। ये सही है कि 2012–16 में रेस्पो0 का बाबा केवल खुदकाश्त दर्ज है और रेस्पो0 के पिता छोटी के बीच मुकदमा चला है और जिसमें निर्णय एस0डी0ओ0 द्वारा अपीलांट के पक्ष में निर्णय किया जाना बताया है और इसका उल्लेख खसरा गिरदावरी संवत 2020 के विशेष कॉलम में अंकित है। प्रतिवादी/अपीलांट लगभग 42 साल से इस आराजी पर लगातार खातेदार काश्तकार चले आ रहे है और वादी स्वयं इसे अपने बयानों में स्वीकार किया है।''

8– इस प्रकरण के संपूर्ण विवेचन व विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमियों के संबंध में परीक्षण न्यायालय में जो उभयपक्षों की साक्ष्य हुई थी उसमें अपनी साक्ष्य में स्वयं वादी शिव सिंह ने जिरह में यह स्वीकार किया था कि वादग्रस्त भूमियों पर प्रतिवादी दुर्गाप्रसाद का ही पुराना कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस स्थिति में अपीलांट/वादी पक्ष के दावे की पुष्ठि एवं सिद्धी नहीं होती है।

9– इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त भूमियों के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर में राजस्व रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया था। इसमें राजस्व रिकॉर्ड के कॉलम में रेस्पो0/प्रतिवादीगण के पक्ष में संबंधित उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर द्वारा उनके पक्ष में पारित पूर्व के आदेश के आधार पर नामांतरकरण की कार्यवाही की जाने की पुष्ठि

होती है। वादग्रस्त भूमियों के संबंध में पूर्व में संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 09–07–1963 को कहीं भी किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जाकर उसे अपास्त करवाया गया हो इस प्रकार के भी कोई दस्तावेजात अपीलांट/वादी द्वारा प्रकरण के रिकॉर्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति के आधार पर भी वादग्रस्त भूमियों के संबंध में रेस्पो0/प्रतिवादीगण के पक्ष की ही पुष्ठि होती हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05–12–2002 पूर्णतया विधिसंगत एवं सही होना पाया जाता है।

10– परिणामस्वरूप यह अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05–12–2002 यथावत रखा जाता है।

11– निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य

(राजेश्वर सिंह)
अध्यक्ष